Shri Deepak Prakash on 'Issue of brain drain in Jharkhand.'

Issue of brain drain in Jharkhand

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड) : उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड राज्य की साढ़े तीन करोड़ मर्माहत जनता की भावनाओं से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। झारखंड राज्य खनिज सम्पदा से परिपूर्ण राज्य है। इसे रत्नगर्भा प्रदेश भी कहा जाता है। ईश्वर ने और प्रकृति ने दोनों हाथों से इस प्रदेश को वरदान दिया है। यह प्रदेश आयरन ओर, कोयला, तांबा, सोना, ग्रेनाइट, यूरेनियम, लीथियम, बॉक्साइट जैसी अनेक खनिज सम्पदाओं से परिपूर्ण प्रदेश है।

महोदय, मैं आज आपके सामने इस विषय को इसलिए रखना चाहता हूं कि हालांकि यह प्रदेश खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है, लेकिन वहां की राज्य सरकार की नीति और नीयत में खोट है। सर, केन्द्र सरकार द्वारा लगातार सारी formalities पूरी करने के बावजूद वहां की राज्य सरकार आयरन ओर को खोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर राज्य सरकार एक तरह से आयरन ओर को बंद करने के लिए विवश कर रही है। सर, वहां पर एक भी आयरन ओर खुला हुआ नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि कोयले का यहां पर ऑक्शन होने के बाद लोगों को लीज़ मिल रही है, लेकिन ज़मीन का अधिग्रहण उस राज्य की सरकार की नीयत में खोट होने के कारण नहीं हो रहा है, जिसके कारण उद्योग और उद्योग के माध्यम से रोजगार का जो सृजन होता है, उसमें कुल मिलाकर बाधा पड़ी हुई है और वहां से उद्योग और उद्योगपति लगातार दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। वहां पर लोग बेरोजगारी को तो झेल ही रहे हैं, साथ ही कई अपराधी, संगठित अपराधी गिरोह अपने आप को उसमें शामिल कर रहे हैं। सर, चाय बागान उसका उदाहरण है।

सर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माइनिंग लीज़ पर होने के बाद भी जो आयरन ओर की माइन्स नहीं खुलती हैं, उसके पीछे संगठित अपराधियों का एक गिरोह है, जो इल्लीगल माइनिंग करते हैं, * सर, यह बहुत दुखद बात है।

श्री उपसभापति : दीपक जी, ध्यान रखें जो कमेंट्स आप कर रहे हैं, वे नहीं करें।

श्री दीपक प्रकाश : सर, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। उनके पलायन के मूल कारणों को तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...(*Interruptions*)...

श्री दीपक प्रकाश : हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... हम केरल की बात नहीं कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... हम भ्रष्टाचार की भी बात नहीं कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... वहाँ के जमीन घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के शराब घोटाले की भी बात नहीं कर रहे हैं।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

...(**व्यवधान**).. मैं वहाँ के कोयले घोटाले की भी बात नहीं कर रहा हूं। ....(**व्यवधान**).....मैं तो आपको वहाँ की परिस्थितियों से अवगत करा रहा हूं।...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : दीपक प्रकाश जी, आपका समय समाप्त होने वाला है, आप अपने मुद्दे पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपक प्रकाश : हम सभी रोज़गार के सृजन के लिए जानते हैं ...(**व्यवधान**)... .. (**समय की घंटी**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. आपका समय खत्म हो गया है। The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Deepak Prakash: Shri Samir Oraon (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra) and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

माननीय डा. अशोक बाजपेयी जी, आप बोलिए।

Safety and security of Doctors

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) **:** माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, देश में लगभग 25 लाख से अधिक चिकित्सक हैं। धरती पर इन्हें इस तरह से माना जाता है कि चिकित्सक धरती का देवता है, वह लोगों का जीवन बचाने का, उनकी रक्षा करने का काम करता है। मान्यवर, जिसे हम धरती का देव कहते हैं, जो लोगों के जीवन की रक्षा करता है, वह स्वयं अपना जीवन असुरक्षित व्यतीत करता है। आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं कि अगर अस्पतालों में कहीं कोई कैज़ुअल्टी हो जाती है, तो उस पेशेंट के परिवार से लोग आकर डॉक्टर के साथ जिस तरीके का मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करने का काम करते हैं, उससे डॉक्टर स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है।

मान्यवर, आज हिंदुस्तान के डॉक्टर्स का दुनिया में जो सम्मान है, दुनिया के तमाम विकसित देश भारतीय डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं और वे सम्मान के साथ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करते हैं। हमारे भारतवर्ष में भी जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनीं - आप देखेंगे कि कोविड जैसी महामारी के समय हमने उन्हें कोविड वॉरियर कहा और सम्मान देने का काम किया - जब तमाम लोग घरों में बैठे थे, तब डॉक्टर्स अपने प्राणों को असुरक्षित महसूस करते हुए भी मरीजों के जीवन की रक्षा करने का काम कर रहे थे, परंतु इसके बावजूद इन डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। मान्यवर, वैसे तो स्वास्थ्य सेवाएं देना राज्य का विषय है, लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि भारत सरकार इसके लिए कोई विधेयक लाए और इस विधेयक के माध्यम से इन चिकित्सकों की सुरक्षा हो सके।

महोदय, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, जिन्हें लेकर चिकित्सकों के साथ कोर्ट में मारपीट की गई। उसके बाद अगर सीआरपीसी के अंतर्गत डॉक्टर अपना मुकदमा दर्ज़ कराता है, तो